

2024/120

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

| किस्म मुकदमा 1 | नंबर मुकदमा 2 | तारीख दायर 3 | तारीख फैसला 4 | पेशी दिनांक 5 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 111-128 | 51/24 | 11/3/2024 | | 15/4/2024 |

अनवान

श्री ~~केला डी.वी.रा जाति शेगर~~

निवासी ~~पचाबपुरा तह. बिजौलिया~~

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

श्री ~~शम्भूल धाकड़~~

श्री ~~सुगना डी. हजारी जाति गुजर~~

निवासी ~~राखेली तह. बिजौलिया~~

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

मदयून

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)



अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

केला वनाम सुगना
 क्रिसम मुकदमा - 11/128 नम्बर 5/2024

| तारीख हुवम | हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 11/3/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 15/4/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p> <p> पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वाली/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौर पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित मा. पेश हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p> | |
| 23/4/24 | <p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। विपक्षीय नए खर्चा महुपस्थित। विपक्षीय के विरुद्ध एव पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आगामी दिनांक 28/04/24 को वास्ते नोटिस पेश हो।</p> | |
| 29/04/24 | <p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए, एवं खुले न्यायालय में खुलाए गए। पत्रावली फॉरवर्ड शुमार होकर, नम्बर से कम होकर वास्ते दफ्तर हो।</p> | |

3
 उपखण्ड अधिकारी
 विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

3
 उपखण्ड अधिकारी
 विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 51/24

तारीख 11/3/24

केला पुत्र हीरा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. सुगना पुत्र हजारी जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बालू पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. घीसा पुत्र गुलाब जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 29/4/24

प्रार्थना पत्र केला पुत्र हीरा जाति रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते ग्राम राखोली पटवार हल्का चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 459/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, आराजी संख्या 463/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर कुल किता 02 रकबा 0.6474 हैक्टैयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काशतकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम राखोली पटवार हल्का चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 459/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, आराजी संख्या 463/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर कुल किता 02 रकबा 0.6474 हैक्टैयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 51/24

तारीख 29/4/24

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 51 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

केला पुत्र हीरा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थी

बनाम

01. सुगना पुत्र हजारी जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बालू पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. घीसा पुत्र गुलाब जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राखोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम राखोली पटवार हल्का चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 459/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, आराजी संख्या 463/380 रकबा 0.3237 हैक्टैयर कुल किता 02 रकबा 0.6474 हैक्टैयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर सलावटिया कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा



भील

1, खड़ीपु

रेसपोडेंट